मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा 2017

विज्ञापन क्रमांक 01/2017 दिनांक 07.02.2017
खेल और युवा कल्याण विभाग , मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12.03.2017

ऑनलाइन परीक्षा की तिथि

30.04.2017

सामान्य अभियोग्यता	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
शारीरिक शिक्षा	दोपहर पश्चात 03.00 बजे से 05:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु **मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा** के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

स्नातक के साथ एम.पी.एड./ एम.पी.ई.

एवं

राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे। आवेदन पत्र दिनांक **13.02.2017** (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक **12.03.2017** (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- **0731-2700406**

ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

3- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु दिनांक **30.04.2017** को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर स्थित निर्धारित केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **08.04.2017** से **28.04.2017** तक www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध होंगें ।

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर **E-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत **<u>मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा</u>** के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

क्र.	संवर्ग का नाम/ विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों मे से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद			कुल पद	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	OH	VH	HH		
द्वितीय श्रेणी														
1	**मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा** खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन	14	04	03	04	05	01	01	01	00	00	01	25	9300-34800 +4200 ग्रेड पे

Abbriviations:
UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग, OH -अस्थिबाधित, VH-दृष्टिबाधित, HH-श्रवणबाधित

दो **पद का विवरण**

01	**संवर्ग का नाम**	:	**मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा**
	विभाग का नाम	:	खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी-10, अस्थायी-15
	वेतनमान	:	**9300-34800+4200** ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता अन्य भत्ते देय होंगें।
	संवर्ग में सम्मिलित पद	:	**खेल और युवा कल्याण सेवा** के अंतर्गत निम्नानुसार पद आते है :- - जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, - खेल अधिकारी, - सहायक संचालक - युवक कल्याण अधिकारी आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता क्रम में प्रेषित अभ्यर्थियों की सूची में से सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा (**SYWS**) संवर्ग (**Cadre**) के किसी भी पद पर पदस्थ किया जा सकेगा, जो आपस में स्थानांतरण योग्य होगा। उक्त पदों के कर्तव्य आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किए गए है।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : स्नातक के साथ एम.पी.एड./ एम.पी.ई.
<u>एवं</u>
राष्ट्रीय खेल अथवा अधिकृत सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व

टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित

पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी । बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं नि:शक्तजन रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।

(6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(7) एक पद मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रवणबाधित नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है ।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा:

मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु	:	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों हेतु	:	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2018

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट -1** देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- **60 वर्ष**

नौ चयन प्रक्रिया :-

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में दो प्रश्नपत्रों की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में में दोनों प्रश्नपत्रो में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गो हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, इस प्रकार उनके लिये ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगें। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से SMS/ आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा ।

(5) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(7) **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

दस ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके आदर्श उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।**

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका आदर्श कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब आदर्श कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   (अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   (आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   (इ) जिन प्रश्नों के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो।

समिति द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी तथा उसे आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम उत्तरकुंजी पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के लिए बनी अंतिम उत्तरकुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-4 **देखें।**

ग्यारह ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	शहर	कोड	शहर
01	इंदौर	03	ग्वालियर
02	भोपाल	04	जबलपुर

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में चारों शहर केंद्र चुन सकते है। कम से कम दो शहर चुनना अनिवार्य होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

बारह प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **08.04.2017** से **28.04.2017** तक आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगें । अर्हताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त वेबसाइट्स से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगें। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।

फोटो पहचान-पत्र :- ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र के साथ निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

1 पासपोर्ट
2 मतदाता पहचान पत्र
3 ड्रायविंग लायसेंस
4 पैन कार्ड
5 आधार कार्ड
6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र

तेरह आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

चौदह अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

पंद्रह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -1
(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -2
(iii) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश परिशिष्ट-3
(iv) ऑनलाइन परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4

उप सचिव